



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 96/2016

दायरा तिथि : 29.11.2016

निर्णय तिथि : प्राथमिक डिक्री 28.02.2017 फाईनल डिक्री 01.06.2017

वादी :-

उमेशकुमार पुत्र मोहनलाल

जाति मेघवाल निवासी मुण्डारा

तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब न अ म

प्रतिवादीगण :-

1. श्रीमति सविता पत्नि रमेशजी
2. जितेन्द्र पुत्र रमेशजी
3. हितेष पुत्र रमेशजी
जातिगण गुरु निवासीगण डुंगली तहसील बाली
प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ना.बा. जरिये कुदरती वलीया माता प्रतिवादी संख्या-01
श्रीमति सविता पत्नि रमेशजी
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय : :

दिनांक : 01.06.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2017 को जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबंध में वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति जताते हुये फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अत बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकील वादी सरहद मौजा डुंगली के खसरा नंबर 439 रकबा 0.59 हैक्टर किस्म बारानी दायम लगानी 2.95 रूपये के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
1	उमेशकुमार पुत्र मोहनलाल मेघवाल सा. मुण्डारा सा. देह खातेदार	439	0.3933	बारानी दायम	1.97	हरा
2	सविता पत्नि रमेश, जितेन्द्र, हितेष पि. रमेश ना.बा. के वलीया माता सविता कोम गुरु सा. डुंगली खातेदार	439/1	0.1967	बारानी दायम	0.98	गुलाबी

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 01.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल, बाली)
आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, बाली